संख्या-14/2016/1858/49-1-16-6(19)/14

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 09 दिसम्बर, 2016

विषय- उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 लखनऊ में श्रेणी-1, श्रेणी-3 एवं श्रेणी-4 के रिक्त पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्रांक-4185/अधि0, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ में विभिन्न श्रेणी के निम्नलिखित सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती करने हेतु कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-20/1/91-का-2-2012 दिनांक 15-03-2012 जिसमें भर्तियों पर रोक लगायी गयी है, से छूट प्रदान की जाती है:-

1-श्रेणी-1	
क- सहायक महाप्रबन्धक-	**02 पद**
ख- सहायक प्रबन्धक-	**16 पद**
2-श्रेणी-3	
क- समस्त सहायक वर्ग	**50 पद**
3-श्रेणी-4	**35 पद**
कुल योग	**103 पद**

3- प्रश्नगत पदों पर भर्ती के संबंध में आवश्यक कार्यवाही संस्था की आर्थिक स्थिति/संसाधनों के दृष्टिगत न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर भर्ती संबंधी संगत शासनादेश/उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965/उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली, 1968 में दी गयी व्यवस्था/प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये सुनिश्चित की जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इस प्रक्रिया में राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय भार न आये। साथ ही रिक्तियों की वास्तविक संख्या की पुष्टि सुनिश्चित की जाये।

4- कृपया तद्नुसार प्रकरण में नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-14/2016/1858(1)/49-1-16 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ ।

2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/कार्मिक अनुभाग-2/कार्मिक अनुभाग-3

3- सहकारिता अनुभाग-2

आज्ञा से,

(प्रतीक संजर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।